



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या - 48 राँची, सोमवार, 20 माघ, 1947 (श०)  
9 फरवरी, 2026 (ई०)

---

#### वित्त विभाग।

-----

#### अधिसूचना

12 अगस्त, 2025

**संख्या- 01/स्था0 (विविध)-107/202 -1959-**भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के वित्त विभाग के अधीन झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा में भर्तीप्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

#### अध्याय-1

#### प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नामविस्तार एवं प्रारम्भ
  - (1) यह नियमावली झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा नियमावली-2025 कहलाएगी ।
  - (2) इसकाविस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
  - (3) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ:- इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
- ‘राज्य’ से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य।
  - ‘सरकार’के अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।
  - ‘विभाग’से अभिप्रेत है वित्त विभाग।
  - ‘सेवा’से अभिप्रेत है झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा।
  - ‘संवर्ग’से अभिप्रेत है,वित्त विभाग,झारखण्ड सरकार के अधीन झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा के पद।
  - ‘नियुक्ति प्राधिकार’से अभिप्रेत है,राज्य सरकार।
  - ‘नियंत्री प्राधिकार’से अभिप्रेत है, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव ।
  - ‘आयोग’ से अभिप्रेत है,झारखण्ड लोक सेवा आयोग,राँची।
  - ‘नियमावली’से अभिप्रेत है,झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा नियमावली,2025 ।
  - ‘अनुसचिवीय संवर्ग’ से अभिप्रेत है,झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 30,परिशिष्ट-5 में परिभाषित एवं संबंधित सेवा/संवर्ग की नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली में अनुसचिवीय रूप में उल्लिखित।
3. सेवा/संवर्ग की संरचना एवं बल:-
- इस सेवा के सभी पद राजपत्रित श्रेणी के होंगे,जो निम्नवत् है :-

| क्र।सं। | पदनाम                           | वेतनमान                                    | समूह     | अभ्यक्ति                                                                 |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| i       | वित्त पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर | लेवल-9<br>(PB-II,9300-34800),<br>GP-5400/- | समूह ‘ख’ | मूल कोटि का पद<br>(सीधी नियुक्ति-75%)<br>(सीमित प्रतियोगिता परीक्षा-25%) |
| ii      | सहायक निदेशक एवं समकक्षस्तर     | लेवल-11<br>(PB-III,15600-39100), GP-6600/- | समूह ‘क’ | प्रोन्नति का पद(100%)                                                    |
| iii     | उप निदेशक एवं समकक्ष स्तर       | लेवल-12<br>(PB-III,15600-39100), GP-7600/- | समूह ‘क’ | प्रोन्नति का पद(100%)                                                    |
| iv      | संयुक्त निदेशक एवं समकक्ष स्तर  | लेवल-13<br>(PB-IV,37400-67000), GP-8700/-  | समूह ‘क’ | प्रोन्नति का पद(100%)                                                    |

## (क) पदों की विवरण:-

|                         |                                 |                                                                                                                                                                            |     |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| मूल कोटि                | वित्त पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर | 1.उप लेखा नियंत्रक<br>2.सहायक कोषागार पदाधिकारी<br>3.सहायक पेंशन एवं लेखा पदाधिकारी<br>4.वित्त पदाधिकारी                                                                   | 126 |
| प्रथम प्रोन्नति के पद   | सहायक निदेशक एवं समकक्ष स्तर    | 1.लेखा नियंत्रक<br>2.कोषागार पदाधिकारी<br>3.सहायक निदेशक<br>4.जिला पेंशन एवं लेखा पदाधिकारी<br>5. वरीय वित्त पदाधिकारी<br>6.प्रशिक्षक (अंकेक्षण-सह लेखा प्रशिक्षण संस्थान) | 92  |
| द्वितीय प्रोन्नति के पद | उप निदेशक एवं समकक्ष स्तर       | 1.उप निदेशक<br>2.वरीय कोषागार पदाधिकारी<br>3.आंतरिक वित्तीय सलाहकार<br>4.वित्तीय सलाहकार<br>5.प्रमुख प्रशिक्षक (अंकेक्षण-सह लेखा प्रशिक्षण संस्थान)                        | 45  |
| तृतीय प्रोन्नति के पद   | संयुक्त निदेशक एवं समकक्ष स्तर  | 1.संयुक्त निदेशक<br>2.वरीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार<br>3.प्राचार्य (अंकेक्षण-सह लेखा प्रशिक्षण संस्थान)                                                                      | 18  |

## अध्याय- 2

### भर्ती/नियुक्ति

4. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली 2021 (समय समय पर यथा संशोधित) के आधार पर आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों की आयोग से प्राप्त अनुशंसा पर मेधा सूची के अनुसार मूल कोटि के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा परीक्ष्यमान रूप से नियुक्ति की जाएगी।

#### 5. रिक्तियों का नियतीकरण:-

(1) विभाग समीक्षा कर प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना करेंगे।

(2) उक्त रूप में परिगणित रिक्तियों का रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से भेज देंगे।

#### 6. रिक्तियों में आरक्षण:-

(क) सीधी भर्ती:- इस सेवा की मूल कोटि के स्वीकृत पद के 75 प्रतिशत अर्थात् 94 पद पर सीधी भर्ती द्वारा तथा स्वीकृत पद के शेष 25 प्रतिशत अर्थात् 32 पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जायेगी। उक्त नियुक्ति में राज्य सरकार की आरक्षण नीति यथा रूप प्रभावी होगी।

(ख) प्रोन्नति:-इस सेवा में संवर्गीय वरीय पद कालावधि एवं वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति से भरे जायेंगे। उक्त प्रोन्नति हेतु सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति यथा रूप प्रभावी होगी।

#### 7. पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति:-

(1) इस सेवा के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति माँग एवं उपलब्धता के आधार पर राज्य या केन्द्र सरकार के किसी विभाग में विभागीय सहमति के उपरान्त की जा सकेगी।

(2) इस सेवा के पदाधिकारियों को राज्य सरकार के सेवार्थ निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा:-

(i) राज्य सरकार के पूर्णतः या अंशतः स्वामित्व या नियंत्रण वाली कम्पनी या निकाय में चाहेवे निगमित हो अथवा नहीं यथा-स्थानीय निकाय,बोर्ड,सहकारी समिति,शैक्षणिक संस्थान में विभागीय सहमति के उपरान्त प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी।

- (ii) केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के पूर्णतः या अंशतः नियंत्रण वाले किसी कार्यालय में उनकी मांग के अनुरूप एवं किसी संवर्गीय पदाधिकारी को उनकी सहमति से केन्द्र सरकार के किसी विभाग, कार्यालय में तथा उपर्युक्त मद संख्या (i) में उल्लिखित किसी संगठन या निकाय में विभागीय सहमति के उपरान्त प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा।

परन्तु यह और भी कि उपर्युक्त उप नियम (i) एवं (ii) के अधीन किसी संवर्गीय पदाधिकारी को किसी ऐसे पद पर प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा, जिसके वेतनमान का अधिकतम उस पदाधिकारी द्वारा प्राप्त किये जा रहे वेतनमान से कम हो, जो वह अपने संवर्ग के धारित पद पर प्राप्त करता हो।

- (3) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/PSU में पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति इस सेवा में धारित पद एवं वेतनमान के आधार पर विभागीय सहमति के उपरान्त अधिकतम 05 वर्षों के लिए की जा सकती है।

8. “संवर्ग नियंत्रण” - वित्त विभाग इस संवर्ग का नियंत्री विभाग होगा तथा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

### अध्याय-3

#### सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति

9. सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया :- इस सेवा के मूल कोटि के स्वीकृत पद के 75 प्रतिशत पद (94 पद) पर ‘वित्त पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर’ के रूप में नियुक्ति संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् परीक्ष्यमान रूप से सरकार द्वारा की जायेगी। ‘वित्त पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर’ के रूप में सीधी भर्ती/नियुक्ति हेतु झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2021 (यथासंशोधित) तथा समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संशोधित नियमावली लागू होंगे। परीक्षा की सभी प्रक्रिया को पूर्ण करने एवं अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता के स्वीकरण/अस्वीकरण के लिए आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र एवं सक्षम होगा। सीधी भर्ती/नियुक्ति की योग्यता/अर्हताएँ/न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/उम्र/कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक/पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की प्रक्रिया संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के समान होगी। भिन्नता की स्थिति में संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित नियमावली मान्य होगा।

#### 10. सीधी नियुक्ति के लिए योग्यता/अर्हताएँ:-

- i **शैक्षणिक योग्यता:-** A Candidate must hold a degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State legislature in India or other educational Institutions established by an act of Parliament or declared to be deemed as University under Section 3 of the University

Grants Commission act, 1956 or a foreign University approved by the Central Government from time to time or possess an equivalent qualification.

ii **उम्र:-**न्यूनतम उम्र 21वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्र के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित व्यवस्था लागू होगी।

iii **न्यूनतम अर्हतांक:-**सीधी भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के प्रत्येक विषय के लिए न्यूनतम अर्हतांक वही होंगे, जो इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित है अथवा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।

#### अध्याय- 4

#### सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती

11. **नियुक्ति की प्रक्रिया:-** इस सेवा की मूल कोटि के 25 प्रतिशत पद (32 पद) पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलेख में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जायेगी।

12. **नियुक्ति के लिए योग्यता/अर्हता:-**

क (i) **शैक्षणिक योग्यता :-** केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण।

(ii) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में वैसे सरकारी सेवक भाग लेंगे, जिनकी सीधी नियुक्ति झारखण्ड सरकार के अंतर्गत अनुसचिवीय संवर्ग जैसा कि झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 30 परिशिष्ट-5 में परिभाषित है, में हुई हो तथा इनके द्वारा अनुसचिवीय संवर्ग (समूह ख) में न्यूनतम 08 (आठ) वर्षों की नियमित एवं संतोषप्रद सेवा पूर्ण हो तथा वे अपने पद पर सम्पुष्ट हो। इनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन/पे-लेवल/वेतनमान वित्त पदाधिकारी (मूल कोटि) के लिए स्वीकृत ग्रेड वेतन/पे-लेवल/वेतनमान से कम हो।

(iii) इसके अतिरिक्त झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) अवर सेवा के वैसे कर्मी भी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले सकेंगे, जिनकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम स्नातक हो तथा जिनकी समूह ख में न्यूनतम 08 (आठ) वर्ष की नियमित एवं संतोषप्रद सेवा पूर्ण हो चुकी हो। साथ ही वे अपने पद पर सम्पुष्ट हो तथा इनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन/पे-लेवल/वेतनमान वित्त पदाधिकारी (मूल कोटि) के लिए स्वीकृत ग्रेड वेतन/पे-लेवल/वेतनमान से कम हो।

(iv) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले कर्मी निलम्बित नहीं हो, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही संचालित नहीं हो तथा सेवाकाल में कोई दण्ड अधिरोपित नहीं किया गया हो।

(v) जिस बैच की परीक्षा है, उसके लिए निर्धारित अर्हता की तिथि/मानक तिथि उस वर्ष की (पहली अगस्त) को 45 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं हो।

ख. सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम अनुसूची-I के रूप में संलग्न है।

ग. मौखिक परीक्षा - सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में कोई मौखिक अन्तर्वीक्षा नहीं होगी।

घ. सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक - सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में उम्मीदवारों को सफल होने के लिए लिखित परीक्षा/विभिन्न विषयों में आवश्यक न्यूनतम अर्हतांक वही होंगे, जो प्रशासनिक सेवा के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित है। वर्तमान में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3928 दिनांक 11.08.2020 के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत् है:-

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| सामान्य वर्ग                        | 40 प्रतिशत   |
| पिछड़ा वर्ग                         | 36.5 प्रतिशत |
| पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-1               | 34 प्रतिशत   |
| अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग | 32 प्रतिशत   |
| आदिम जनजाति                         | 30 प्रतिशत   |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS)       | 40 प्रतिशत   |

परन्तु यह कि न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवारों से उस वर्ष की सम्पूर्ण रिक्तियों को भरे नहीं जा सकने की स्थिति में शेषरिक्तियों को अगले वर्ष की रिक्तियों में जोड़ दिया जायेगा।

### अध्याय-5

#### सामंजन

13(1)पूर्व से कार्यरत झारखण्ड अंकेक्षक संवर्ग/राष्ट्रीय बचत सेवा के राजपत्रित पदाधिकारियों को उनके वर्तमान धारित पद एवं धारित पद के वेतनमान के आधार पर एकबारीय व्यवस्था के तहत झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा में निम्नांकित प्रक्रिया के अनुसार सामंजित किया जायेगा। झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा के मूल कोटि के पद पर सामंजित पदाधिकारियों की गणना, मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती हेतु कर्णांकित पदों के विरुद्ध की जाएगी, न कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती हेतु कर्णांकित पदों के विरुद्ध।

(i) पूर्व से कार्यरत झारखण्ड अंकेक्षक संवर्ग के राजपत्रित पद पर पदस्थापित पदाधिकारियों को उनके वर्तमान वेतनमान के आधार पर यथास्थिति इस सेवा के मूलकोटि अथवा उच्चतर पद के विरुद्ध सामंजित किया जायेगा। ऐसे सामंजन में यदि पूर्व से प्राप्त ग्रेड वेतन/वेतनमान का उत्क्रमण होता है, तो उसे एक अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन समझा जायेगा।

**उदाहरण :-** (1) पूर्व से झारखण्ड अंकेक्षक संवर्ग के अन्तर्गत उपलेखा नियंत्रक (वेतनमान PB-II,9300-34800,GP-4800,Level-8) के पद पर पदस्थापित एवं कार्यरत पदाधिकारियों को अपने वेतनमान में इस सेवा के मूलकोटि के पद 'वित्त पदाधिकारी एवं समकक्ष' के विरुद्ध सामंजित किया जायेगा।

(2) पूर्व से झारखण्ड अंकेक्षक संवर्ग के अन्तर्गत लेखा नियंत्रक (वेतनमान PB-III,15600-39100,GP-6600,Level-11) के पद पर पदस्थापित एवं कार्यरत पदाधिकारियों को इस सेवा के समान वेतनमान वाले पद के विरुद्ध सामंजित किया जायेगा।

(ii) पूर्व से कार्यरत राष्ट्रीय बचत सेवा/संवर्ग के राजपत्रित पद पर पदस्थापित पदाधिकारियों को उनके वर्तमान वेतनमान के आधार पर यथास्थिति इस सेवा के मूलकोटि अथवा उच्चतर पद के विरुद्ध सामंजित किया जायेगा। ऐसे सामंजन में यदि पूर्व से प्राप्त ग्रेड वेतन/वेतनमान का उत्क्रमण होता है, तो उसे वित्तीय उन्नयन समझा जायेगा।

**उदाहरण :-** (1) पूर्व से वरीय राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी (वेतनमान PB-II9300-34800,GP-4800,Level-8) के पद पर पदस्थापित पदाधिकारियों को इस सेवा के मूलकोटि के पद 'वित्त पदाधिकारी एवं समकक्ष' के विरुद्ध सामंजित किया जायेगा।

(2) पूर्व से राष्ट्रीय बचत सेवा के अन्तर्गत उप निदेशक (वेतनमान PB-III,15600-39100,GP-6600,Level-11) के पद पर पदस्थापित पदाधिकारियों को इस सेवा के समान वेतनमान वाले पद के विरुद्ध सामंजित किया जायेगा।

(iii) उपर्युक्त सामंजन के फलस्वरूप वेतन वृद्धि के साथ कोई वेतन निर्धारण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

14. इस नियमावली के नियम 13 द्वारा सामंजित पदाधिकारियों, जिन्होंने पूर्व में लागू नियमावली के तहत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उन्हें इस सेवा में विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आवश्यकता नहीं होगी।

15. नियम 13 के अनुसार सामंजन के बावजूद इसे इस सेवा में नयी नियुक्ति नहीं समझी जायेगी। उच्चतर पद पर प्रोन्नति हेतु सामंजित पद पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित संकल्प/अनुदेश/परिपत्र द्वारा निर्धारित कालावधि पूर्ण करना आवश्यक होगा।

16. झारखण्ड अंकेक्षक संवर्ग/राष्ट्रीय बचत सेवा के वैसे कर्मी/पदाधिकारी, जो इस नियमावली प्रवृत्त होने के पूर्व में प्रभावी “झारखण्ड अंकेक्षक संवर्ग नियमावली, 2011” (समय-समय पर यथा संशोधित) तथा “झारखण्ड राज्य राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी संवर्ग नियमावली, 2007” (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के आलोक में प्रोन्नति की अर्हता पूर्ण करते हैं, परन्तु प्रोन्नति नहीं दी जा सकी है, उन्हें इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व में प्रभावी नियमावली के आलोक में प्रोन्नति प्रदान करने के उपरान्त इस नियमावली के नियम 13 के अन्तर्गत सामंजन की कार्रवाई की जायेगी। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के भीतर यह कार्रवाई पूर्ण कर ली जायेगी। एक वर्ष की समय-सीमा समाप्त हो जाने के उपरान्त यह प्रावधान स्थायी रूप से समाप्त समझा जायेगा।

17. इस नियमावली के नियम 16 के तहत कार्रवाई हेतु संबंधित कर्मी/पदाधिकारी से यह विकल्प प्राप्त किया जायेगा कि वे नियम 16 से आच्छादित होना चाहते हैं अथवा नहीं। वैसे कर्मी/पदाधिकारी, जो नियम 16 से आच्छादित नहीं होने का विकल्प चयन करेंगे, उनपर यह नियम लागू नहीं होगा। ऐसा विकल्प चयन की समय-सीमा नियमावली प्रवृत्त होने की तिथि से एक माह तक होगी। विकल्प चयन संबंधी आवेदन नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा। यदि इस समय-सीमा के भीतर विकल्प का चयन नहीं किया जाता है, तो यह माना जायेगा कि वे नियम-16 से आच्छादित नहीं होना चाहते हैं, उन्हें नियम 13 के अनुसार समायोजित किया जाएगा। एक बार चयनित विकल्प अंतिम होगा।

18. झारखण्ड राज्य के वाणिज्यकर विभाग के नियंत्रणाधीन ‘झारखण्ड वित्त सेवा’ के पदाधिकारियों से विकल्प प्राप्त कर निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन इस सेवा में एकबारीय व्यवस्था के तहत सामंजन किया जा सकेगा-

(i) ‘झारखण्ड वित्त सेवा’ के वैसे पदाधिकारी जिनकी सेवा सम्पुष्ट है, वे अपने प्रशासी/नियंत्री विभाग से अनापति प्रमाण पत्र के साथ इस सेवा में सामंजन हेतु नियमावली प्रवृत्त होने के तीन माह के अन्दर नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष विकल्प समर्पित करेंगे।

(ii) नियम 13 के तहत सामंजन पूर्ण होने के उपरान्त इस सेवा में सीधी भर्ती के लिए शेष रिक्त पदों के 50% पदों के विरुद्ध झारखण्ड वित्त सेवा के पदाधिकारियों का आवश्यकतानुसार सामंजन किया जाएगा। झारखण्ड वित्त सेवा के पदाधिकारी द्वारा धारित वर्तमान पद के वेतनमान के समान वेतनमान वाले पद पर इस सेवा में सामंजन किया जाएगा।

(iii) यदि Level-11 अथवा इससे उच्चतर वेतनमान वाले प्रोन्नति के पद पर सामंजन हेतु विकल्प प्राप्त होते हैं, तो वेतनमान एवं वरीयताक्रम के आधार पर स्वीकृत पद के 50% पदों के विरुद्ध सामंजन किया जायेगा।

(iv) यदि इस सेवा में सामंजन हेतु विकल्प चयनित करने वाले पदाधिकारियों की संख्या इस नियमावली के नियम 18 (ii) में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए शेष रिक्त पदों के 50% पदों से अधिक होती है तो झारखण्ड वित्त सेवा के पदाधिकारियों की आपसी वरीयता के आधार पर वरीयता क्रम में सामंजन किया जाएगा, अर्थात् वरीय पदाधिकारी को सामंजन में प्राथमिकता दी जाएगी। शेष अधिकाय पदाधिकारियों का सामंजन इस सेवा में नहीं किया जाएगा, भले ही इसके लिए विकल्प एवं विभागीय 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' समर्पित किया गया हो। ऐसे अधिकाय पदाधिकारी इस सेवा में सामंजन का दावा नहीं करेंगे तथा वे वाणिज्य-कर विभाग के अधीन झारखण्ड वित्त सेवा में ही बने रहेंगे।

(v) सामंजन में पदाधिकारियों के मूल सेवा में चयन की कोटि को भी आवश्यकतानुसार ध्यान में रखा जायेगा, ताकि राज्य में प्रभावी आरक्षण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

(vi) सामंजन में होने वाले कठिनाई को दूर करने हेतु विभाग द्वारा विनियम/परिनियम बनाया जा सकेगा अथवा दिशा-निर्देश निर्गत किया जा सकेगा।

(vii) एक बार सामंजन होने के उपरान्त वे इस सेवा के सदस्य माने जाएंगे तथा पूर्व सेवा में प्रत्यावर्तन की माँग अथवा दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस सेवा में वे सम्पुष्ट माने जायेंगे।

(viii) सामंजन के फलस्वरूप इस सेवा में उन्हें पुनः विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की आवश्यकता नहीं होगी। इस सेवा में उनकी नयी नियुक्ति नहीं समझी जाएगी, परन्तु उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु निम्नतर पद पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि पूर्ण करना आवश्यक होगा।

19. विभिन्न सेवाओं से सामंजन के फलस्वरूप इस सेवा में आपसी वरीयता क्रम निम्नवत् निर्धारित होगा:-

(i) जिस पूर्ववर्ती सेवा से इस सेवा की मूलकोटि के पद पर सामंजन होगा उस पूर्ववर्ती सेवा में सीधी भर्ती हेतु मूलकोटि के पद का वेतनमान के आधार पर इस सेवा में आपसी वरीयता निर्धारित होगी, अर्थात् पूर्ववर्ती सेवा में सीधी भर्ती हेतु मूल कोटि के पद का वेतनमान जिस सेवा के लिए अधिक होगा, उस सेवा के सदस्य सामंजन के उपरान्त इस सेवा में मूलकोटि के अन्य सेवा के सदस्यों से वरीय होंगे। परन्तु यदि इस सेवा के मूलकोटि से उच्चतर पदों पर सामंजन होता है तो उच्चतर पद पर सामंजित सदस्य निम्नतर पद पर सामंजित सदस्य से वरीय होंगे।

(ii) एक ही पूर्ववर्ती सेवा से सामंजित सदस्यों की इस सेवा में आपसी वरीयता वही होगी जो पूर्ववर्ती सेवा में उनकी आपसी वरीयता है, अर्थात् जो पूर्ववर्ती सेवा में वरीय थे इस सेवा में वरीय होंगे।

(iii) यदि पूर्ववर्ती सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु मूल कोटि के पद का वेतनमान दो अथवा अधिक सेवाओं के लिए समान हो तथा इस सेवा में समान पद पर सामंजस्य होता है, तो इस सेवा में वह सदस्य वरीय होगा, जो पूर्ववर्ती सेवा में पहले नियुक्त हुआ हो।

(iv) यदि इस सेवा में मूलकोटि के पद से उच्चतर पदों पर दो या अधिक पूर्ववर्ती सेवाओं के सदस्यों का सामंजस्य होता है, तो वह सदस्य वरीय होगा, जिसका पूर्ववर्ती सेवा में मूलकोटि का पद का वेतनमान अधिक हो।

20. नियम 16 के तहत विकल्प के आधार पर बाद में सामंजित सदस्य अपने सामंजित पद पर नियम 13 एवं 18 के आलोक में पूर्व से सामंजित सदस्य से कनीय होंगे।

21. इस सेवा के मूल कोटि से उच्चतर पदों पर सामंजस्य उन पदों के लिए स्वीकृत बल का 50% की अधिसीमा तक हो सकेगा।

#### अध्याय- 6

##### प्रशिक्षण एवं सम्पुष्टि

22. (क) प्रारंभिक प्रशिक्षण :- झारखण्ड लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् इस सेवा के पदों पर परीक्ष्यमान रूप से पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में प्रशिक्षण निम्नवत् दिया जायेगा :-

| क्र०सं० | प्रशिक्षण            | प्रशिक्षण अवधि | प्रशिक्षण स्थान                                                              |
|---------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | संस्थागत प्रशिक्षण   | 06 माह         | अंकेक्षण-सह-लेखा प्रशिक्षण संस्थान/ विभाग द्वारा चयनित संस्थान               |
| 2.      | व्यावहारिक प्रशिक्षण | 06 माह         | प्रमण्डलीय अंकेक्षण कार्यालय, जिला कोषागार एवं जिला पेंशन एवं लेखा कार्यालयA |
| 3.      | अंतिम प्रशिक्षण      | 02 माह         | अंकेक्षण-सह-लेखा प्रशिक्षण संस्थान/ विभाग द्वारा चयनित संस्थानA              |

संस्थागत प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण अंतर्गत ही कम्प्यूटर ज्ञान एवं वित्त विभाग द्वारा उपयोग किये जाने वाले सभी Software Application/Modules का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात्परीक्ष्यमान पदाधिकारियों को झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा के मूल कोटि के पदों पर पदस्थापित किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में विभागीय सहमति के उपरान्त प्रशिक्षण अवधि में परिवर्तन किया जा सकेगा तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व ही परीक्ष्यमान पदाधिकारियों को झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा के मूल कोटि के पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम एवं विस्तृत कार्यक्रम अंकेक्षण-सह-लेखा प्रशिक्षण संस्थान/विभाग द्वारा चयनित संस्थान के सहयोग से विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(ख) सेवा कालीन प्रशिक्षण:- झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा के पदाधिकारी जब सहायक निदेशक एवं समकक्ष स्तर में प्रोन्नत होंगे, तो उन्हें प्रथम सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा उप निदेशक एवं समकक्ष स्तर में प्रोन्नति उपरान्त द्वितीय सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही विभागीय आवश्यकतानुसार सेवाकाल के दौरान भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण का विस्तृत पाठ्यक्रम, अवधि एवं विस्तृत कार्यक्रम अंकेक्षण-सह-लेखा प्रशिक्षण संस्थान/विभाग द्वारा चयनित संस्थान के सहयोग से विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

23. **वेतन वृद्धि एवं सेवा-सम्पुष्टि :-** झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति परीक्ष्यमान वित्त पदाधिकारी (मूल कोटि) के रूप में की जाएगी। सेवा सम्पुष्टि के लिये दो वर्षों की परीक्ष्यमान अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करना तथा परीक्ष्यमान अवधि में निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगी। राजस्व पर्वद, झारखण्ड, राँची द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त ही सेवा सम्पुष्टि की जा सकेगी। विभागीय परीक्षा के प्रश्नों का पाठ्यक्रम अनुसूची-II के अनुरूप होगा। सभी विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात् अधिकतम दो वेतन वृद्धि तक दी जायेगी तथा अगली वेतन वृद्धियाँ नियमित रूप से सेवा सम्पुष्टि के उपरान्त यथा नियम अनुमान्य होगी।

## अध्याय-7

### विविध

24. **सेवा से बर्खास्तगी अथवा प्रत्यावर्तन :-**

(1) झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा के वैसे पदाधिकारी, जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया है तथा राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि इनको अब सेवा में नहीं रखा जा सकता है अर्थात् सेवा में रखने के लायक नहीं है, तो सेवा से बर्खास्तगी के पूर्व राज्य लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त कर लेना अपेक्षित होगा। झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा)

सेवा के वैसे पदाधिकारी जिनकी पर्यवेक्षण-क्षमता पद के अनुकूल नहीं है तथा संवर्गीय पद में प्रोन्नति पा चुके हैं, राज्य सरकार को यदि इस आशय का समाधान हो गया है कि ये गुरुत्तर दायित्व के लायक नहीं हैं, तो इनके संवर्गीय पद पर प्रत्यावर्तन की स्थिति में राज्य लोक सेवा आयोग का अभिमत अपेक्षित होगा।

(2) भारत का संविधान तथा राज्य में प्रवृत्त विधि में किये गये प्रावधानों के तहत भी समतुल्य कार्रवाई की जा सकेगी।

25. (1) प्रोन्नति :- झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा के पदाधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान करने हेतु वित्त विभाग द्वारा प्रोन्नति समिति का गठन किया जायेगा। प्रोन्नति समिति का स्वरूप वही होगा, जो समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो। प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के पश्चात् संवर्गीय पद पर राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति दी जायेगी। प्रोन्नति का आधार कालावधि तथा वरीयता-सह-योग्यता होगी तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा लागू प्रोन्नति में आरक्षण यथारूप प्रभावी होगा।

(2) प्रोन्नति की कालावधि - प्रोन्नति हेतु कालावधि का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित संकल्प/अनुदेश/परिपत्र के अनुरूप होगा।

26. वरीयता:- झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा में नियुक्त पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के मेधाक्रम से होगा। वरीयता निर्धारण के क्रम में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प/अनुदेश/परिपत्र का अनुपालन किया जायेगा।

27. स्थानान्तरण/पदस्थापन:- झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन वित्त विभाग के द्वारा राज्य सरकार के अनुदेश के आलोक में किया जायेगा। सेवा के पदाधिकारियों के एक स्थानान्तरण/पदस्थापन का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्षों का होगा। सामान्यतः तीन वर्ष से कम अवधि में किसी पदाधिकारी को किसी पदस्थापन से स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि राज्य सरकार को यह समाधान नहीं हो जाय कि उनको इस पदस्थापन पर बनाये रखना राज्यहित में न हो एवं संवर्गीय प्रोन्नति नहीं मिली हो।

28. अनुशासनिक कार्रवाई:- झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा के पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 तथा इस क्रम में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर किये जानेवाले संशोधन के आलोक में की जायेगी।

29. विनियमन:- वित्त विभाग इन नियमों को प्रभावी बनाने के लिए एवं ऐसी सभी बातों का उपबंध करने के लिए जो आवश्यक या समीचीन हो, विनियम बना सकेगा।

30. अवशिष्ट मामले:- ऐसे मामलों के बारे में जो विनिर्दिष्टतः इन नियमों या विनियमों अथवा एतद्धीन बनाये गये या निर्गत किये गये आदेशों या विशेष आदेशों में नहीं आते हैं, ऐसी परिस्थिति

में सेवा के सदस्य राज्य सिविल सेवा तथा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पर लागू सामान्य नियमों, विनियमों एवं आदेशों द्वारा शासित होंगे।

### 31. प्रकीर्ण:-

(क) अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में ऊपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों/पदाधिकारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे।

(ख) सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।

32. शिथिल करने की शक्ति:- जहाँ राज्य सरकार के वित्त विभाग की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो तो उन कारणों को अभिलिखित करते हुए इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल करने के संबंध में राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेगी।

33. निर्वचन:- जहाँ इन नियमों या एतद्धीन बनाये गये विनियमों के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहाँ वित्त विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।

34. राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

### 35. निरसन और व्यावृत्ति

इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व के इस नियमावली के विषयों पर निर्गत कोई नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे। परन्तु नियम-16 के प्रभावी रहने तक “झारखण्ड अंकेक्षक संवर्ग नियमावली, 2011” (समय-समय पर यथा संशोधित) तथा “झारखण्ड राज्य राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी संवर्ग नियमावली, 2007” (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्रावधान के अधीन कार्रवाई की जा सकेगी। एतद् द्वारा निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई ‘झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा नियमावली, 2025’ के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**प्रशान्त कुमार,**  
सरकार के सचिव।

## अनुसूची - I (नियम 12 देखें)

**सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा :-**

**(क) प्रथम पत्र - General Studies Paper-1 (वस्तुनिष्ठ), अवधि-2 घंटा,  
पूर्णांक- 100अंक**

- (i) History of India and Indian National Movement-25प्रश्न
- (ii) India and World Geography-25प्रश्न
- (iii) Indian Polity and Economy-25प्रश्न
- (iv) History, Geography, Economy and Culture of Jharkhand-25प्रश्न

**(ख) द्वितीय पत्र - General Studies Paper.II (वस्तुनिष्ठ), अवधि-2 घंटा,  
पूर्णांक - 100 अंक**

- (i) General Science- 40 प्रश्न
- (ii) General Mental Ability-30 प्रश्न
- (iii) Current Event of State, National and International Importance-30प्रश्न

**(ग) तृतीय पत्र - (विषयनिष्ठ), अवधि-3घंटा, पूर्णांक-200 अंक**

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.झारखण्ड सेवा संहिता                  | 7.झारखण्ड आर्थिक सर्वेक्षण                                   |
| 2.झारखण्ड पेंशन नियमावली               | 8.झारखण्ड बजट हस्तक                                          |
| 3.झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली | 9.झारखण्ड असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली |
| 4.बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली              | 10.झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली                              |
| 5.झारखण्ड कोषागार संहिता               | 11.सामान्य वित्तीय नियमावली, भारत सरकार                      |
| 6.झारखण्ड वित्त नियमावली               |                                                              |

**नोट :** प्रथम पत्र एवं द्वितीय पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे तथा ऋणात्मक अंकण (Negative Mark) नहीं होगा।

**अनुसूची-II**  
**(नियम 23देखे)**

झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा के पदाधिकारी को निम्नलिखित विषयोंमें परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। प्रश्नों का स्वरूप, पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक वही होगा, जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए निर्धारित है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग तथा राजस्व पर्षद के द्वारा समय-समय पर प्रश्नों का स्वरूप, पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक में किये जाने वाले परिवर्तन इस सेवा के पदाधिकारियों के लिए भी लागू होंगे।

(i) **हिन्दी** - झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा के पदाधिकारी को हिन्दी में लिखित एवं मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। सरकारी कामकाज में व्यवहृत व्यावहारिक हिन्दी भाषा की जानकारी एवं अंग्रेजी भाषा से अनुवाद की परीक्षा होगी।

मौखिक परीक्षा के लिए भी सरकारी कामकाज में व्यवहृत व्यावहारिक हिन्दी की अच्छी जानकारी होनी चाहिए।

(क) लिखित परीक्षा में एक मात्र प्रश्न पत्र (देवनागरी लिपि) 200 अंकों का होगा। परीक्षा 03 घंटों की होगी। अंको का विभाजन निम्नरूपेण होगा :-

- |    |             |   |                                                        |
|----|-------------|---|--------------------------------------------------------|
| 1. | टिप्पण      | - | 50                                                     |
| 2. | प्रारूपण    | - | 50                                                     |
| 3. | अनुवाद      | - | 80 (हिन्दी से अंग्रेजी-40 एवं अंग्रेजी से हिन्दी - 40) |
| 4. | वाक्यशुद्धि | - | 20                                                     |

(ख) हिन्दी में मौखिक परीक्षा 100 अंकों की होगी। विषय निम्नवत् होंगे:-

- |    |                                                                                                                    |   |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 1. | सामान्य विषयों पर वार्तालाप                                                                                        | - | 40 |
| 2. | सामान्य प्रयोग में आने वाले तकनीकी शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की जानकारी की जाँच                                     | - | 30 |
| 3. | हिन्दी हस्तलिपि का पाठन एवं अंग्रेजी में उनका मौखिक अनुवाद तथा अंग्रेजी के गद्यांशों का पाठन एवं हिन्दी में अनुवाद | - | 30 |

(ग) उच्चकोटि एवं निम्नकोटि से उत्तीर्णक क्रमशः 60% एवं 50% अंकों का होगा। लिखित एवं मौखिक परीक्षा में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(ii) **कम्प्यूटर** - एम०एस०ऑफिस (एम०एस० वर्ड,एक्सेल,पावर प्वायंट प्रेजेन्टेशन,इंटरनेट),वित्त विभाग द्वारा संचालित सभी साफ्टवेयर के आपरेशन की जानकारी की लिखित एवं व्यावहारिक परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित एवं व्यावहारिक परीक्षा का पूर्णांक 100 अंकों का एवं उत्तीर्णांक 50 अंकों का होगा । दोनों परीक्षाएँ 01-01 घंटे की होंगी।

(iii) **लेखा पत्र-1**

(पुस्तक रहित)

- (क) Book Keeping & Accounts
- (ख) Business Organisation.
- (ग) Important Acts, Rules & Regulations Concerning Government Accounts.
- (घ) Working of Treasury & Accounts Office.
- (ङ.) Jharkhand Treasury Code.

(iv) **लेखा पत्र-2**

(पुस्तकसहित)

- (क) झारखण्ड कोषागार संहिता
- (ख) झारखण्ड सेवा संहिता
- (ग) झारखण्ड वित्त नियमावली भाग-1 एवं-2
- (घ) झारखण्ड यात्रा भत्ता नियमावली
- (ङ.) झारखण्डपेंशननियमावली
- (च) बोर्डमिशलेनियसरूल्स
- (छ) झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली
- (ज) झारखण्ड बजट हस्तक
- (झ) झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली

(v) **विधि भाग -1**

(पुस्तक रहित)

- (क) भारतीय न्याय संहिता-BNS (भारतीय दण्ड संहिता)
- (ख) भारतीय साक्ष्य अधिनियम-BSA
- (ग) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-BNSS (दण्ड प्रक्रिया संहिता)
- (घ) सिविल प्रक्रिया संहिता- (Code of Civil Procedure)
- (ङ.) कोर्ट फी अधिनियम
- (च) स्टाम्प अधिनियम
- (छ) सूचना का अधिकार अधिनियम
- (ज) Legal Practitioner's Act.

(vi) **विधि भाग -2** (पुस्तकसहित)

- (क) भारतीय न्याय संहिता-BNS(भारतीय दण्ड संहिता)
- (ख) भारतीय साक्ष्य अधिनियम-BSA
- (ग) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-BNSS(दण्ड प्रक्रिया संहिता)
- (घ) सिविल प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure)
- (ङ.) कोर्ट फी अधिनियम
- (च) स्टाम्प अधिनियम
- (छ) सूचना का अधिकार अधिनियम
- (ज) Legal Practitioner's Act

(vii) जनजातीय भाषा (लिखित एवं मौखिक) -निम्नांकित में से किसी एक जनजातीय भाषा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा । उच्चकोटि एवं निम्नकोटि से उत्तीर्णक सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग-I पिछड़ा वर्ग-II के लिए क्रमशः 60 एवं 50 अंको तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए क्रमशः 50 एवं 40 अंको का होगा । लिखित एवं मौखिक परीक्षा दोनों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा :-

- (1) **संथाली**
- (2) **मुण्डारी**
- (3) **उराँव**
- (4) **हो**

-----